भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4515
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

अमृत काल में शासन संबंधी सुधारों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण

4515. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने और रीयल-टाइम ओपन-डेटा प्लेटफार्मों के माध्यम से संस्थागत पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों सहित अमृत काल विजन (2022-2047) के प्रमुख रणनीतिक स्तंभ कौन-कौन से हैं;
(ख) राष्ट्रीय एआई रणनीति के अंतर्गत उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), भू-अभिलेखों के लिए ब्लॉकचेन और ओएनडीसी को वर्ष 2025 के मध्य तक प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में किस हद तक एकीकृत किया गया है और वर्ष 2027 तक उन्हें व्यापक रूप से अपनाए जाने संबंधी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) संस्थागत व्यवस्थाओं, नीतिगत दिशानिर्देशों और वर्ष 2027 तक पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने की समय-सीमा सहित सार्वजनिक सेवाओं में एकीकृत एआई, ब्लॉकचेन और ओएनडीसी प्लेटफार्मों पर सुदृढ़ साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और शासन संबंधी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): अमृत काल विजन (2022-2047) के प्रमुख रणनीतिक स्तंभ वास्तविक समय आधार पर डेटा की उपलब्धता के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग के माध्यम से एक समावेशी, पारदर्शी और समतामूलक शासन इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित हैं। सरकार की मुख्य पहल में शामिल हैं:

i. एआईकोश प्लेटफॉर्म: इंडियाएआई मिशन के तहत एआईकोश प्लेटफॉर्म नवाचार के लिए एआई सैंडबॉक्स सहित एआई-तैयार डेटासेट, मॉडल, कम्प्यूटेशनल संसाधन, उपकरण, सामुदायिक सुविधाओं और सुरक्षा आधारित अभिगम तंत्र तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।

ii. ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म: ओजीडी प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सरकार द्वारा साझा किए गए ओपन डेटा तक अभिगम की अनुमति देकर संस्थागत पारदर्शिता को सक्षम बनाते हुए, एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लेटफ़ॉर्म (https://data.gov.in) है

iii. बहुभाषी और सुलभ डिजाइन: भाषिणी - एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक अभिगम सुनिश्चित करते हुए, डिजिटल साक्षरता और भाषा विभाजन को पाटने के लिए वॉइज़-फर्स्ट बहुभाषी समाधानों को सक्षम बनाता है।

iv. डिजिटल साक्षरता (पीएमजीदिशा): डिजिटल सेवाओं को अपनाने को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहलों के साथ, संवेदनशील समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 63.9 मिलियन से अधिक नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गई।

v. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) - आधार, डिजिलॉकर, उमंग और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक समान, जनसंख्या-स्तरीय पहुँच को सक्षम करते हैं, जिससे डिजिटल सेवा वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।

ये प्रतिउपाय सामूहिक रूप से असमानताओं का शमन करते हैं और नागरिकों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक विश्वसनीय, त्वरित और पारदर्शी पहुँच प्रदान करते हैं। सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग नागरिकों के लिए वास्तविक समय के आधार पर ओपन डेटा अभिगम के माध्यम से संस्थागत पारदर्शिता बढ़ाने और अपने-अपने स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने हेतु प्रतिउपाय कर रहे हैं।

(ख): एआई और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में तकनीकी प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। "डिजिटल इंडिया" जैसे कार्यक्रमों ने नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए इस तकनीकी प्रगति के लिए एक आधारभूत ढाँचे के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, ओएनडीसी जैसे ओपन प्रोटोकॉल को तेज़ी से अपनाया और विकसित किया गया है, जिससे डिजिटल वाणिज्य परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। सरकार निम्नलिखित तरीकों से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ रही है:

i. भारत की एआई रणनीति: सरकार ने भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक सुदृढ़ और समावेशी एआई इकोसिस्टम स्थापित करने हेतु एक रणनीतिक पहल के रूप में मार्च 2024 में इंडियाएआई मिशन शुरू किया। इंडियाएआई मिशन में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:

    - इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता
    - इंडियाएआई आधारभूत मॉडल
    - एआई कोश
    - इंडियाएआई अनुप्रयोग विकास पहल
    - इंडियाएआई फ्यूचरस्किल
    - इंडियाएआई स्टार्टअप वित्तपोषण
    - सुरक्षित और विश्वसनीय एआई

सरकार ने एआई को प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में एकीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। इंडियाएआई अनुप्रयोग विकास, जो इंडियाएआई मिशन का एक स्तंभ है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सहित विभिन्न सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों का विकास, परिनियोजन और अंगीकरण कर रहा है।

ii. ब्लॉकचेन तकनीक: भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संपत्ति लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी व्यापक डिजिटल शासन पहलों के एक भाग के रूप में, भूमि अभिलेख प्रबंधन में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए हैं।चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने छेड़छाड़-रोधी और अपरिवर्तनीय भूमि अभिलेखों को बनाए रखने में ब्लॉकचेन की क्षमता का परीक्षण और प्रदर्शन किया है। ये प्रतिउपाय सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए नई तकनीकों के उपयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

iii. डिजिटल वाणिज्य हेतु ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी): यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी की एक पहल है, जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं

के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देती है। यह एक ओपन प्रोटोकॉल है जिस पर प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस बनाए जा सकते हैं।

केंद्र में मंत्रालय/विभाग छोटे व्यवसायों, खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ओएनडीसी को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किए गए उल्लेखनीय प्रतिउपाय निम्नानुसार हैं:

o सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) योजना शुरू की है, जो ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ओएनडीसी में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करती है।

o ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ई-वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म eSaras.in, ओएनडीसी पर लाइव है - जिसका संचालन दिल्ली-एनसीआर में एक केंद्रीय गोदाम के माध्यम से होता है। ई-सरस, स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित लगभग 800 से अधिक दस्तकारी उत्पादों के साथ ओएनडीसी के साथ एकीकृत है और ऑनलाइन उपलब्ध है।

o भारत के गांवों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ओएनडीसी पर लाइव हो गए हैं।

उपरोक्त पहलों के अलावा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए एआई, ब्लॉकचेन और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं।

(ग): सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में एआई, ब्लॉकचेन और ओएनडीसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण हेतु सुदृढ़ साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सुशासन ढाँचे स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सरकार साइबर खतरों और चुनौतियों के प्रति सजग और सचेत है। देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रतिउपाय किए गए हैं:

i. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

ii. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) परियोजना का कार्यान्वयन सर्ट-इन द्वारा किया जा रहा है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस की जाँच करता है। यह संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ कार्रवाई हेतु जानकारी साझा करता है।

iii. सर्ट-इन साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ कार्य करता है, जिनमें दूरसंचार सुरक्षा परिचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय केंद्र सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि शामिल हैं।

iv. सर्ट-इन अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जी20 शिखर सम्मेलन, संसद 20 शिखर सम्मेलन, राम जन्मभूमि कार्यक्रम, महाकुंभ आदि के दौरान साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम रहा था।

v. साइबर सुरक्षा पेशेवरों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन पेशेवरों, वकीलों और सरकारी अभियोजकों, छात्रों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

vi. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमाकर्ताओं, दलालों, कॉर्पोरेट एजेंटों आदि सहित विनियमित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी करता है।

vii. सर्ट-इन सक्रिय खतरे के शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुकूलित चुनौतियाँ साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा आसुचना विनिमय मंच संचालित करता है।

viii. साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं ताकि सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन किया जा सके।

कानूनी प्रावधान:

i. डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 ('एसपीडीआई नियम') संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना को संभालने वाले किसी भी कॉर्पोरेट निकाय या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए यथोचित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है।

ii. व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका डेटा केवल उनकी सहमति से ही साझा किया जाए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) लागू किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है।

iii. अधिनियम के अनुसार, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक प्रतिउपाय लागू किए जाने चाहिए और किसी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए यथोचित सुरक्षोपाय किए जाने अपेक्षित हैं।

*****